(ख) इन घटनाओं में अंतग्रस्त वस्तुओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा पुलिस ने अब तक इनमें से कितनी वस्तुएं बरामद की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में अपराध

1017. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान दिल्ली में 15 फरवरी, 1992 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 308, 363 और 366 के अधीन पंजीकृत मामलों की अलग-अलग थानावार संख्या क्या है तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इनकी संख्या कितनी थी : और

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़े गए अपराधियों की संख्या क्या है और अभी कितने अपराधी पकड़े जाने शेष हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 29]

दहेज के कारण मौतें

1018. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान 15 फरवरी, 1992 तक दहेज के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या क्या थी, और

(ग) सरकार ने दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं तथा इस संबंध में और कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के उत्तरार्ध और वर्ष 1992 को इसी अवधि के दौरान दहेज के कारण सूचित हुई मौतों के राज्य-वार ब्यौरों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) दहेज के कारण हुई मौतों के अपराध सहित, अपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, तथा अपराध की रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं। दहेज निषध अधिनियम, 1961 को वर्ष 1984 और 1986 में कानून को अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1782 में, दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए संशोधन किया गया था।

सरकार द्वारा तथा कई महिला स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक बनाने के ध्येय से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। दहेज की सामाजिक बुराईयों के खिलाफ इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों द्वारा प्रचार करके जनसंचार अभियानों का आयोजन भी किया जा रहा है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को महिलाओं पर होने वाले अपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित अपराध भी शामिल है।